झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड,

उद्योग भवन, रातु रोड, राँची

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग के संकल्प संख्या–176 दिनांक 19.01.2017 के द्वारा उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय के अधीन नवगठित मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड में **प्रखण्ड उद्यमी समन्वयक** पदों के विरूद्ध संविदा (contractual basis) के अधार पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से जिलावार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। जिलावार पदों की रिक्ति निम्नप्रकार है :–

क्र0	जिला का नाम	पदों की संख्या					
		सामान्य	अ0जाति	अ0ज0जाति	अ0पि0वर्ग (अनु0–1)	पि0वर्ग (अनु0–2)	कुल
1	राँची	9	1	6	2	0	18
2	खूंटी	3	0	3	0	0	6
3	कोडरमा	3	1	0	1	1	6
4	गिरिडीह	7	1	1	2	2	13
5	पश्चिम सिंहभूम	10	1	8	0	0	19
6	सिमडेगा	5	1	4	0	0	10
7	गढ़वा	9	5	2	1	1	18
8	पलामू	11	6	2	2	1	22
9	पूर्वी सिंहभूम	6	0	3	1	1	11
10	सरायकेला– खरसावां	5	0	4	0	0	9
11	हजारीबाग	8	2	0	4	2	16
12	रामगढ़	3	0	2	1	0	6
13	लातेहार	5	1	3	0	0	9
14	चतरा	6	2	1	2	1	12
15	गुमला	6	0	6	0	0	12
16	लोहरदगा	4	0	3	0	0	7
17	बोकारो	5	1	1	1	1	9
18	धनबाद	5	1	1	2	1	10
19	देवघर	5	1	1	2	1	10
20	जामताड़ा	3	1	2	0	0	6
21	दुमका	5	0	5	0	0	10
22	गोड्डा	5	1	2	1	0	9
23	पाकुड़	3	0	3	0	0	6
24	साहेबगंज	5	0	4	0	0	9
कुल		**136**	**26**	**67**	**22**	**12**	**263**

2. **राश्ट्रीयताः**– आवेदक भारत का नागरिक हो।
3. **उम्रः**–दिनांक 01.08.2017 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित–35 वर्ष, पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग–37 वर्ष, महिला अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग–38 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (पुरूष एवं महिला वर्ग)–40 वर्ष
4. **शैक्षणिक योग्यताः** इण्डरमीडिएट के साथ संबंधित क्षेत्र (तसर, लाह, हस्तशिल्प, लघु एवं कुटीर उद्योग) में एक वर्ष का तकनीकी सर्टिफिकेट कोर्स अथवा स्नातक उत्तीर्ण (MBA/PGDM को प्राथमिकता दी जायेगी)।
5. **कार्य अनुभवः** कम्प्यूटर संचालित करने का ज्ञान।
6. **संविदा/मानदेय की राशिः** 16500/– प्रति माह।

7. **संविदा पर नियुक्ति हेतु नियम एवं भार्तें:—**

(क) इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा (contractual basis) के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का बोर्ड पर कोई दायित्व नही होगा।

(ख) प्रारम्भिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्श के लिए की जाएगी। तत्प चात कार्य संतोशजनक पाये जाने पर अगले एक वर्श के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा अन्यथा ऐसी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ग) यदि कोई कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, परन्तु असंतोषप्रद सेवा की स्थिति में एक माह के पूर्व सूचना पर नियुक्ति कर्मी की सेवा समाप्त कर दी जायेगी और इसके विरूद्ध वे किसी भी स्तर पर अपील नहीं कर सकेंगे।

(घ) झारखंड के अधिवासियों को उक्त नियुक्ति में अधिमानता दी जाएगी।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मी को नियत (fixed) वेतन अनुमान्य होगा। नियत वेतन के अलावे किसी प्रकार का भत्ता यथा—मंहगाई भत्ता, मकान भाड़ा आदि अनुमान्य नहीं होगा। परन्तु सरकारी कार्य के लिये की गई यात्रा के लिये झारखंड यात्रा भत्ता नियमावली के प्रावधानों के तहत् यात्रा भत्ता देय होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त कर्मी पेंशन संबंधी फायदे का हकदार नहीं होगा। परन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियम के अनुसार चिकित्सीय सुविधा का हकदार होगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलेण्डर वर्ष के लिये राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

(ज) संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिये राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।

8. **आवेदन कैसे करें:—** आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र/सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आवसीय प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र तथा एक पास्पोर्ट साईज का फोटो संलग्न कर संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निबंधित डाक द्वारा समर्पित किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा एक हीं जिला में आवेदन समर्पित किया जाएगा। एक से अधिक जिला में आवेदन समर्पित करने पर उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। विलम्ब से प्राप्त अथवा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि:—** दिनांक 30.06.2017 के अपराह्न 3.00 बजे तक।

10. **लिफाफा पर लिखें:—** आवेदित पद एवं जिला का नाम.. अंकित करें।

11. **आवेदन समर्पित करने का पता:—** संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,........................

12. **आवेदन पत्र का प्रपत्र एवं अन्य विवरण www.jharkhandindustry.gov.in पर देखा जा सकता है।**

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
झारखंड लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड, रॉंची।